FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आज अदालत **न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** मुकाम **जोधपुर**

जानू खां व अन्य **बनाम्** अब्दुल रहमान व अन्य

किस्म मुकदमा – आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. 1908

मुकदमा संख्या – C/27/2025 **जीसीएमएस नं** 2025/114

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.05.2025	प्रार्थीगण की ओर से एक विविध प्रार्थना पत्र आदेश 09 निमय 04 सी.पी.सी. 1908 व मिसल तलबी हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जयराम बोराणा ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य को दोहराते हुए पूर्व निर्णित मूलवाद संख्या P/108/2023 अनवान् जानू खां व अन्य बनाम् अब्दुल रहमान व अन्य अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधि0 1955 को रेस्टोर कर पुनः रिकॉर्ड में लिये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया। मूलवाद की पत्रावली तलब की जाकर उसका अवलोकन करने से यह जाहिर होता हैं कि अप्रार्थीगण / मूलवाद में प्रतिवादीगण द्वारा दीर्घ समय से उपस्थिति दर्ज नहीं हैं व न ही जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। अतः मूलवाद में प्रतिवादीगण की लम्बे समय से उपस्थिति दर्ज न होने से हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थीगण की तलबी की जाना आवश्यक नहीं हैं। अधिवक्ता प्रार्थीगण बहस हेतु तैयार हुए। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूलवाद के गुणावगुण पर निर्णयन हेतु न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 04 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर उपर्युक्त वर्णित मूलवाद को पुनः उसी नम्बर पर रेस्टोर किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सत्यमेव जयते जोधपुर	